

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
पीठासीन अधिकारी-पीयूष समारिया, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या-101/2023
जी.सी.एम.एस. पोर्टल संख्या- 2023/112

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001 राजस्थान द्वारा प्राधिकृत अधिकारी तेजपालसिंह राठौड़ पुत्र देवीसिंह क्लस्टर बिजनेस मैनेजर (अधिकृत अधिकारी), एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, 19-ए झुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर 302001		1. भवानी कलेक्शन निवासी रोहीशा रोड रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर। 2. कालुराम पुत्र मानाराम जाति माली निवासी रोहीशा रोड रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर। 3. सिया समारिया पुत्र मानाराम जाति माली निवासी रोहीशा रोड, बडला वाला बेरा, रियांबड़ी, तहसील रियांबड़ी जिला नागौर। 4. श्रीमति मीरा देवी पत्नी मानाराम जाति माली निवासी रोहीशा रोड, संत श्री लिखमीदास नगर, रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर। दूसरा पता- प्लॉट नम्बर 132, संत श्री लिखमीदास नगर रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

आदेश

दिनांक: 12-06-2023

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में प्रार्थी की से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र पर, वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण खाता संख्या-L9001060117940464(पुराना खाता संख्या-L9001060117940464) में रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख पचास हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.06.2019 को तथा ऋण खाता संख्या-L9001061124823546 (पुराना खाता संख्या-L9001061124823546) में रूपये 1,95,000/- (अक्षरे एक लाख पिचयानवे हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 09.08.2021 को उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण खाता संख्या-L9001060117940464 (पुराना खाता संख्या-L9001060117940464) की सुविधा के एवज में सम्पति- पूर्वी भाग के प्लोट नम्बर 132, खसरा नंबर 480, संत लिखमीदास नगर ग्राम रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर जो 22.22 वर्गगज है तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जो मीरा देवी द्वारा धारित है। जिसके पड़ोस निम्न है- उत्तर में-आवासीय प्लॉट नम्बर 133 का पूर्वी भाग, दक्षिण में- आवासीय प्लॉट नम्बर 131 का पूर्वी भाग, पूर्व में-कॉलोनी का रास्ता 25 फुट चौड़ा व निकाल, पश्चिम में- आवासीय प्लॉट नम्बर 132 का पश्चिमी भाग तथा अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण खाता संख्या- L9001061124823546 (पुराना खाता संख्या-L9001061124823546) की सुविधा के एवज में सम्पति-पश्चिमी भाग के प्लोट नम्बर 132, खसरा नंबर 1579/457, संत लिखमीदास नगर ग्राम रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर में स्थित है, जो 88.88 वर्गगज है तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पति के अभिन्न अंग है, जो मीरा देवी द्वारा धारित है। जिसके पड़ोस निम्न है- उत्तर में-आवासीय प्लॉट नम्बर 133, दक्षिण में- आवासीय प्लॉट नम्बर 131, पूर्व में-आवासीय प्लॉट नंबर 132 पूर्वी हिस्सा, पश्चिम में- आवासीय प्लॉट नम्बर 102 है, जो उक्त दोनों सम्पतियां प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध उक्त दोनों ऋणों का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 01.01.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व उक्त ऋण संख्या-L9001060117940464(पुराना खाता संख्या-L9001060117940464) के संबंध में अप्रार्थी/ऋणी में कुल रूपये 10,79,448/- (अक्षरे दस लाख उनयासी हजार चार सौ अड़तालीस रूपये मात्र) एवं ऋण



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

खाता संख्या-L9001061124823546 (पुराना खाता संख्या-L9001061124823546) के संबंध में अप्रार्थी/ऋणी में कुल रूपये 2,02,156/- (अक्षरे दो लाख दो हजार एक सौ छप्पन रूपये मात्र) दिनांक 05.01.2023 तक शेष देय है एवं इसके आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान बकाया निकलते हैं।

उक्त दोनों ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद उक्त दोनों ऋण खातों के संबंध में एक्ट की धारा 13 (2) के तहत दो पृथक-पृथक नोटिस दिनांक 07.01.2023 प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एवं नोटिसों का अखबार प्रकाशन भी करवाया गया, परन्तु इसके पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर उक्त ऋण संख्या-L9001060117940464 (पुराना खाता संख्या-L9001060117940464) के संबंध में अप्रार्थी/ऋणी में कुल रूपये 10,79,448/- (अक्षरे दस लाख उनयासी हजार चार सौ अड़तालीस रूपये मात्र) एवं ऋण खाता संख्या-L9001061124823546 (पुराना खाता संख्या-L9001061124823546) के संबंध में अप्रार्थी/ऋणी में कुल रूपये 2,02,156/- (अक्षरे दो लाख दो हजार एक सौ छप्पन रूपये मात्र) दिनांक 05.01.2023 इसके आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि का भुगतान को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति- पूर्वी भाग के प्लॉट नम्बर 132, खसरा नंबर 480, संत लिखमीदास नगर ग्राम रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर जो 22.22 वर्गगज है तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो मीरा देवी द्वारा धारित है। जिसके पड़ोस निम्न है- उत्तर में-आवासीय प्लॉट नम्बर 133 का पूर्वी भाग, दक्षिण में-आवासीय प्लॉट नम्बर 131 का पूर्वी भाग, पूर्व में-कॉलोनी का रास्ता 25 फुट चौड़ा व निकाल, पश्चिम में-आवासीय प्लॉट नम्बर 132 का पश्चिमी भाग तथा अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण खाता संख्या-L9001061124823546 (पुराना खाता संख्या-L9001061124823546) की सुविधा के एवज में सम्पत्ति-पश्चिमी भाग के प्लॉट नम्बर 132, खसरा नंबर 1579/457, संत लिखमीदास नगर ग्राम रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर में स्थित है, जो 88.88 वर्गगज है तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो मीरा देवी द्वारा धारित है। जिसके पड़ोस निम्न है- उत्तर में-आवासीय प्लॉट नम्बर 133, दक्षिण में- आवासीय प्लॉट नम्बर 131, पूर्व में-आवासीय प्लॉट नंबर 132 पूर्वी हिस्सा, पश्चिम में- आवासीय प्लॉट नम्बर 102 है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्ट्स का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से ऋण खाता संख्या-L9001060117940464 (पुराना खाता संख्या-L9001060117940464) में रूपये 10,00,000/- (अक्षरे दस लाख पचास हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 30.06.2019 को तथा ऋण खाता संख्या-L9001061124823546 (पुराना खाता संख्या-L9001061124823546) में रूपये 1,95,000/- (अक्षरे एक लाख पिचयानवे हजार रूपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 09.08.2021 को प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आर्डिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा



जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्हीं प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति- पूर्वी भाग के प्लॉट नम्बर 132, खसरा नंबर 480, संत लिखमीदास नगर ग्राम रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर जो 22.22 वर्गगज है तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो मीरा देवी द्वारा धारित है। जिसके पड़ोस निम्न है- उत्तर में-आवासीय प्लॉट नम्बर 133 का पूर्वी भाग, दक्षिण में- आवासीय प्लॉट नम्बर 131 का पूर्वी भाग, पूर्व में-कॉलोनी का रास्ता 25 फुट चौड़ा व निकाल, पश्चिम में- आवासीय प्लॉट नम्बर 132 का पश्चिमी भाग तथा अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण खाता संख्या- L9001061124823546 (पुराना खाता संख्या- L9001061124823546) की सुविधा के एवज में सम्पत्ति-पश्चिमी भाग के प्लॉट नम्बर 132, खसरा नंबर 1579/457, संत लिखमीदास नगर ग्राम रियांबड़ी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर में स्थित है, जो 88.88 वर्गगज है तथा जायगा व उसमें स्थित सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन व ढांचा आदि सभी जो सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जो मीरा देवी द्वारा धारित है। जिसके पड़ोस निम्न है- उत्तर में-आवासीय प्लॉट नम्बर 133, दक्षिण में- आवासीय प्लॉट नम्बर 131, पूर्व में-आवासीय प्लॉट नंबर 132 पूर्वी हिस्सा, पश्चिम में- आवासीय प्लॉट नम्बर 102 है, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



(पीयूष समारिया)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर